[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीखःे... जनवरी, 2022

का.आ. (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जुलाई, 2022 को उस तारीख के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 80 के खंड (i) के द्वितीय और तृतीय परंतुक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं. 1/1/2018-सीएल.।]

के.वी.आर.मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the _____ January, 2022

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st July, 2022, as the date on which the provisions of second and third proviso to clause (i) of section 80 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /1 /2018-CL.I]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India